69

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्र. /2017

III/ विविध/श्योपुर/ भू.रा/2017/3568

आयुश गर्ग पुत्र कमल किशोर, निवास– सूबात कचहरी के समाने, श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)

––आवेदक

श्री विनोद भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 27-9-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 27-9-17

विरुद्ध

1. श्यामलाल गर्ग पुत्र नंदलाल गर्ग, निवासी– टोपी बाजार, श्योपुर तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन

––अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, अनावेदक क्र. 1 द्वारा माननीय इस न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1345–दो/2017 प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक 15/02/2017 को आदेश पारित किया गया।

CF- 4-10-17

2. यहकि, माननीय इस न्यायालय द्वारा लिपकीय त्रुटिवश आदेश की दूसरी लाईन में प्रकरण क्रमांक निगरानी 2188–एक/2016 के स्थान पर प्रकरण क्रमांक निगरानी 3188–एक/16 टंकित हो गया है।

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 27-09-2017

3. यहकि, पेज न. 3 के पैरा 5 में छटवीं लाईन में भी प्रकरण क्र. निगरानी 3188–एक/2017 टंकित हो गया है जबकि सही प्रकरण क्रमांक निगरानी 2188–एक/2016 है।
4. यहकि, माननीय इस न्यायालय द्वारा पारित में **प्रकरण क्रमांक निगरानी 3188–एक/2016 के स्थान पर 2188–एक/2016** टंकित किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि न्याय हित में आवेदन स्वीकार कर आदेश में **प्रकरण क्रमांक निगरानी 3188–एक/2016 के स्थान पर 2188–एक/2016** टंकित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये।

ग्वालियर

दिनांकः 27/09/2017

निवेदक

आयुश गर्ग व अन्य–––आवेदकगण

द्वारा अभिभाषक

आर. डी. शर्मा,

विनोद भार्गव एवं अमित भाग.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/विविध/श्योपुर/भू.रा/2017/3568

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
11-10-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री विनोद भार्गव उपस्थित होकर उनके द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण कमांक रिव्यु 1345-दो/17 में पारित आदेश दिनांक 15.2.17 के आदेश की दूसरी लाईन में प्रकरण कमांक 2188-एक/16 के स्थान पर प्रकरण कमांक निगरानी 3188-एक/16 टंकित हो गया है । इसी प्रकार पेज न0 3 के पैरा 5 में छटवीं लाईन में भी प्रकरण कमांक निगरानी 3188-एक/16 टंकित हो गया है, जबकि सही प्रकरण कमांक निगरानी 2188-एक/2016 है। 2- आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण कमांक रिव्यु 1345-दो/17 में पारित आदेश दिनांक 15.2.17 के आदेश की दूसरी लाईन में प्रकरण कमांक 3188-एक/16 के स्थान पर प्रकरण कमांक निगरानी 2188-एक/16 पढ़ा जावे। इसी प्रकार पेज न0 3 के पैरा 5 में छटवीं लाईन में भी प्रकरण कमांक निगरानी 3188-एक/16 के स्थान पर प्रकरण कमांक निगरानी 2188-एक/16 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मांनी जावेगी। सदस्य	